**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण**

**पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 21(A) /2023

**प्रार्थी:-**

चैनाराम पुत्र तुलछाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगड़ा कलां

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :-**

1. तुलछाराम पुत्र लाबुराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगड़ा कलां
2. जोगाराम पुत्र तुलछाराम जाति पटेल निवासी ग्राम मोगड़ा कलां
3. संशोधित प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 03 से 13
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**निर्णय** **दिनांक** २१/५/२०२४

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक खसरा संख्या 363 रकबा 9.05.15 बीघा , खसरा न. 386/11 रकबा 9.00 बीघा , खसरा संख्या 471/1 रकबा 1.03 बीघा , खसरा न. 471/5 रकबा 8.03 बीघा कुल रकबा 20.11.15 बीघा ग्राम मोगड़ा कलां तथा ग्राम कांकाणी के खसरा न. 325 रकबा 14.0830 हैक्टेयर की भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 किसी तरह की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे एवम्ना ही किसी अन्य से करवाये तथा विवादग्रस्त भूमि का कब्ज़ा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण , बैचान हस्तांतरण तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश करने का निवेदन किया | इस बाबत् प्रार्थी द्वारा एक दावा घोषणा खातेदारी , विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया |

पूर्व में उक्त विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पिता , अप्रार्थी संख्या 02 एवम् प्रार्थी के दादा स्वर्गीय लाबुराम जी खातेदारी में दर्ज थी | इनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम बतौर उत्तराधिकारी होने के कारण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई | उक्त भूमि पैतृक एवम् पुश्तेनी होने से प्रार्थी एवम् अप्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार जन्म से उक्त भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का घोषणा प्राप्त का अधिकारी एवम प्रार्थी का कब्ज़ा काश्त होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया |

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किया गया | अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड़ा द्वारा वकालतनामा में जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया |

प्रार्थी अधिवक्ता को प्रकरण में बहस करने बाबत् अनेकानेक न्यायहित में अवसर प्रदान किये गये , परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहें |

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 363 रकबा 9.05.15 बीघा , खसरा न. 386/11 रकबा 9.00 बीघा , खसरा संख्या 471/1 रकबा 1.03 बीघा , खसरा न. 471/5 रकबा 8.03 बीघा कुल रकबा 20.11.15 बीघा ग्राम मोगड़ा कलां तथा ग्राम कांकाणी के खसरा न. 325 रकबा 14.0830 हैक्टेयर में आयी हुई स्थित है तथा जिनके लाबुराम जी अकेले खातेदार थे | लाबुराम जी को जो अधिकार उक्त खसरो में मिले थे वे अधिकार वंशानुगत नहीं थे बल्कि प्रथम बार राज्य सरकार द्वारा लाबूराम जी को टीनेंट मानते हुये उनके नाम से खातेदारी दर्ज की गयी थी |लाबूराम जी के फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उसके पुत्रो एवम् पुत्रियों एवम् पत्नी को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे इस कारण से अप्रार्थी संख्या 01 व पत्नी गंगा देवी को तथा चुतराराम , बिंजाराम , भूराराम को प्रथम श्रेणी के वारिस होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये | तत्पश्चात उक्त खसरो के सभी सहखातेदारो ने आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया एवम् अप्रार्थी संख्या 01 के हक़ में खसरा न. 386/11 रकबा 1.4569 हेक्टेयर, खसरा न. 471/1 रकबा 0.1862 हेक्टयर एवम् खसरा संख्या 471/5 रकबा 0.1862 हेक्टयर कृषि भूमि प्राप्त हुयी तथा खसरा न. 325 की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वयं की खरीद्सुदा कृषि भूमि है जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 तुलछाराम के जीवनकाल में उसके किसी भी पुत्र व पुत्री को कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते है | इस कारण से अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र का घोषणात्मक वाद पेश हेतु कोई वादकरण ही उत्पन्न नही होता है | तुलछाराम को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार होने से हस्तानान्तरण के उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त थे इन्ही अधिकारों के तहत अप्रार्थी संख्या 01 तुलछाराम के द्वारा खसरा संख्या 386/11 की कुल भूमि रकबा 1.4569 हेक्टेयर का पंजीबद्ध बैचान श्री सुरेन्द्र कुमार भंसाली को दिनांक 21/07/2023 को किया गया | प्रार्थी का कोई हक़ हिस्सा विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियो में नहीं है एवम् अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्ड खातेदार होने से विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियो का सवतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख़ारिज योग्य होने से सव्यय ख़ारिज किया जाने का निवेदन किया गया |

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 363 रकबा 9.05.15 बीघा , खसरा न. 386/11 रकबा 9.00 बीघा , खसरा संख्या 471/1 रकबा 1.03 बीघा , खसरा न. 471/5 रकबा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

8.03 बीघा कुल रकबा 20.11.15 बीघा ग्राम मोगड़ा कलां तथा ग्राम कांकाणी के खसरा न. 325 रकबा 14.0830 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है | तत्पश्चात उक्त खसरो के सभी सहखातेदारो ने आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया एवम् अप्रार्थी संख्या 01 के हक़ में खसरा न. 386/11 रकबा 1.4569 हेक्टेयर, खसरा न. 471/1 रकबा 0.1862 हेक्टयर एवम् खसरा संख्या 471/5 रकबा 0.1862 हेक्टयर कृषि भूमि प्राप्त हुयी तथा खसरा न. 325 की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वयं की खरीदसुदा कृषि भूमि है जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 तुलछाराम का ही कब्ज़ा-काश्त है तथा किसी भी तरह का अंतरण व हस्तांतरण बाबत् स्वतंत्र है | ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी रूप से उचित प्रतीत नही होता हैं तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही होना पाया जाता हैं इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपुर्णीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे, इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/4/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पखराज कांसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर ग्रामीण

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)